

संख्या-227/एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-3

प्रेषक,
संजय गोयल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

भदोही, कानपुर देहात, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, जौनपुर एवं मेरठ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 09/02/2021

विषय:-कोविड-19 के परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण तथा लॉकडाउन के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने उत्पन्न भरण पोषण की समस्या के दृष्टिगत सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के शासनादेश सं०-198/एक-11-2020-रा०-11, दिनांक 24.03.2020, एवं इस सम्बन्ध में निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कोविड-19 के परिपेक्ष में विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने तथा लॉकडाउन के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने उत्पन्न भरण पोषण की समस्या के दृष्टिगत राहत सहायता दिये जाने तथा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 3,58,94,000/- (₹0 तीन करोड़ अठ्ठावन लाख चौरानबे हजार मात्र) की धनराशि कालम-4 के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹0 में)				
क्रमांक	जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भदोही	255.00	48.34	303.34
2	कानपुर देहात	90.00	61.58	151.58
3	गोण्डा	305.00	116.17	421.17
4	बलरामपुर	309.32	72.65	381.97
5	श्रावस्ती	80.00	43.51	123.51
6	वाराणसी	860.11	8.86	868.97
7	जौनपुर	520.00	3.03	523.03
8	मेरठ	627.38	4.80	632.18
		3046.81	358.94	3405.75
(₹0 तीन करोड़ अठ्ठावन लाख चौरानबे हजार मात्र)				

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(2) उपरोक्त धनराशि का उपयोग राजस्व विभाग के शासनादेश सं०-198/एक-11-2020-रा०-11,

दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण हेतु लाया जा सकेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन में नहीं किया जायेगा।

(3) वितरित कराये जाने वाले निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का जिलाधिकारी द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन करा लिया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2021 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by संजय गोयल
Date: Tue Feb 09 16:42:12 IST 2021
Reason: Approved

(संजय गोयल)

सचिव।

संख्या-227 (1) / एक-10-2021-33(221) / 2011 टीसी-3, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- संबंधित कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-11/02/2021

प्रेषण संख्या:- 227

आवंटन आदेश संख्या:- 242-33

अनुदान संख्या:-

51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 -

09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	480000 140567000	480000 140567000
2	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	886000 152333000	886000 152333000
3	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	303000 170367000	303000 170367000
4	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	11617000 122705000	11617000 122705000
5	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6158000 59462000	6158000 59462000
6	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4834000 72334000	4834000 72334000
7	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	7265000 107197000	7265000 107197000
8	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4351000 64751000	4351000 64751000
	योग	वर्तमान प्रगामी	35894000 889716000	35894000 889716000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ अठ्ठावन लाख चौरानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठासी करोड़ सत्तानवे लाख सोलह हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त
राहत आयुक्त
उ०प्र० शासन